लिए अपने उत्पाद, छवि तथा समय-बद्ध निष्पादन में सुधार लाने हेतु कदम उठा रही है।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण

260. **श्री सोमपाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण प्रतिशत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दी गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है और यह राशि कुल ऋण राशि का कितना प्रतिशत है;

(ग) इस संबंध में सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वर्ष-वार लक्ष्यों की तुलना में कितनी कमी रही है; और

(घ) आगामी वर्षों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कारगर कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से निवल बैंक ऋण का कम से कम 18 प्रतिशत कृषि को देने की अपेक्षा की जाती है। पिछले तीन वर्ष के लिए इन बैंकों का कृषि के लिए ऋण निष्पादन कार्य निम्नानुसार है:—

समाप्त वर्ष (मार्च)	निवल बैंक ऋण	कृषि अग्रिम	सरकारी क्षेत्र के बैंक	
			नि॰बैंक ऋण का 18%	कमी (करोड़ रु॰)
1994	140913.62	21204.26 (15.05%)	25364.45	4124.19 (2.95%)
1995	169037.54	23512.93 (13.91%)	30426.75	6913.82 (4.09%)
1996	184390.76	26351.25 (14.29%)	33190.33	6839.08 (3.71%)
		गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक (पुराना)		
1993	7086	511 (7.2%)	1275.48	764.48 (10.8%)
1994	9545	591 (6.2%)	1718.10	1127.10 (11.8%)
1995	13558	816 (6.0%)	2440.44	1624.44 (12.0%)
सितम्बर, 1995 (अद्यतन उपलब्ध)	12745	885 (6.9%)	2294.10	1409.10 (11.1%)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि कृषि अग्रिमों में बढ़ोत्तरी हो रही है। तथापि, निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता के रूप में ऐसे अग्रिमों के हिस्से में मार्च, 1995 तक गिरावट का रुख था। इस स्थान को रोक गया है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह प्रतिशतता मार्च, 1995 की तुलना में मार्च, 1996 में बढ़ी है और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में मार्च / 1995 की तुलना में सितम्बर, 1995 में बढ़ी है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से जल्द से जल्द प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों को प्राप्त करने हेतु हर संभव उपाय

करने के लिए कहा है। बैंकों से यह भी कहा गया था कि निर्धारित लक्ष्य और उपलक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में उनकी असफलता के परिणाम-स्वरूप बैंक विशेष नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं जिनमें ये शामिल हैं: प्रारक्षित अपेक्षाओं को बढ़ाना या पुनर्वित्त सुविधाओं की वापसी और/या ऐसे अन्य उपाय जो आवश्यक हों। निवल बैंकऋण के 18% का कृषि ऋण उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्वोक्त उप-लक्ष्य प्राप्त करने में निवल बैंक ऋण के अधिकतम 1.5% के अध्ययधीन ग्रामीण मूलभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) में कमी के बराबर अंशदान करें। कृषि क्षेत्र को ऋण का बढ़ा हुआ प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं:—

(क) सरलीकृत आवेदन उपलब्ध कराए गए हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी हैं।

(ख) विभिन्न फसलों के लिए प्रत्येक जिले में गठित तकनीकी समिति द्वारा तैयार किये गए फसल ऋणों के लिए वित्त की मात्राओं का निर्धारण और बैंकों द्वारा उन्हें समान-रूप से स्वीकार किया जाना।

(ग) 25,000 रु० तक के ऋण आवेदनों का एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रु० से अधिक के ऋण आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान।

(घ) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों की मंजूरी के लिए उपयुक्त शक्ति प्रत्यायोजित करना ताकि कमजोर वर्गों से प्राप्त अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही मंजूरी दे दी जाए।

(ङ) भूमि बंधक/भूमि प्रभार या अन्य पक्ष गारंटी के रूप में समपार्श्विक प्रतिभूति की अपेक्षाओं के संबंध में उदार दिशानिदेश;

(च) अल्पावधि, मध्यावधि/दीर्घावधि के लिए 10,000 रु० तक के कृषि ऋणों के लिए कोई मार्जिन अपेक्षित नहीं है।

(छ) पिछले अच्छे कार्य निष्पादन रिकार्ड वाले किसानों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कृषि ऋण कार्ड शुरू किया है जो किसानों को तत्काल उत्पादन ऋण लेने में समर्थ बनाता है और उन्हें प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से बचाता है।

(ज) सतत कृषि उत्पादन के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से नकदी ऋण सुविधा के रूप में एक (लचीली स्वीकृत अधिकतम ऋण-सीमा प्रदान करने के लिए कहा गया है जो उनके समिश्रण ऋण अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(झ) बैंकों से कहा गया है कि वे मत्सय पालन, पुष्पोत्पादन, टिषयू कल्चर, बायोप्रौद्योगिकी जैसे उच्च तकनीक वाले क्रिया-कलापों का वित्तपोषण करें।

(ण) कृषि को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में स्पष्ट और निश्चित सुधार लाने के उद्देश्य से बैंकों को विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है।

Exercise of voting rights by the terrorist affected persons in J & K

261. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether arrangements were made for ensuring due exercise of voting rights by the persons displaced from the terrorist affected areas of Jammu and Kashmir during recent polls to the 11th Lok Sabha;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what success was achieved in this regard, indicating also the percentage of such voters who polled their votes?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPTT. AND DEPTT. OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) Yes, Sir. Migrant voters enrolled in any of the Parliamentary constituencies of 1-Baramulla, 2- Srinagar and 3-Anantnag and who were residing outside their places of ordinary residence were permittd to vote by postal ballot during the recent polls to the eleventh Lok Sabha. The procedure for voting by the migrant voters was as laid down in Part HIA of the Conduct of Elections Rules, 1961. Wide publicity was given to the scheme by the Chief Electoral Officer, Jammu and Kashmir and the Election Commission of India who also arranged